फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – कोतवाली कायमगंज

दिनांक – 28.08.2026

एसओजी/सर्विलांस व कोतवाली कायमगंज/थाना शमसाबाद पुलिस टीम द्वारा 24 घण्टे के अन्दर लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 06 अभियुक्तगण को लूटे गए 6,70,000/- रूपये व 01 तमंचा 315 बोर 01 जिन्दा कारतूस, 01मोटरसाइकिल, 07 मोबाइल फोन सहित किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री यमुना प्रसाद के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एसओजी/सर्विलांस व कोतवाली कायमगंज/थाना शमसाबाद पुलिस टीम द्वारा कोतवाली कायमगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 223/26 धारा 309(4) बीएनएस से संबंधित प्रकाश में आये 06 अभियुक्तगण को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से लूटे गये 6,70,000 रूपये, घटना में प्रयुक्त 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर 01मोटरसाइकिल, 07 मोबाइल फोन सहित गिरफ्तार कर मुकदमा उपरोक्त में धारा 310(2)/317(3) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोतरी कर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों के नाम व पता-

1. उत्तम शुक्ला पुत्र मुकेश कुमार शुक्ला नि0 घसिया चिलौली थाना कायमगंज जनपद फतेहगढ़
2. मिथुन सक्सेना पुत्र पातीराम सक्सेना नि0 घसिया चिलौली थाना कायमगंज जनपद फतेहगढ़
3. बॉबी पुत्र नन्हे लाल सक्सेना नि0 जटवारा थाना कायमगंज जनपद फतेहगढ़
4. विकाश कश्यप उर्फ विक्की बाथम पुत्र लाल सिंह नि0 ग्राम डुमरी थाना सिढपुरा जिला एटा
5. अभय सक्सेना पुत्र राजवीर सक्सेना नि0 घसिया चिलौली थाना कायमगंज जनपद फतेहगढ़
6. अंग्रेज उर्फ राजकुमार पुत्र इन्दल निवासी उलियापुर थाना कायमगंज, जनपद फतेहगढ़

घटना का संक्षिप्त विवरण- वादी मुकदमा श्री पंकज शर्मा पुत्र श्री महेश चन्द्र शर्मा निवासी पृथ्वी दरवाजा कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ द्वारा दिये गये प्रा0पत्र बाबत् नरायण टुबैको कम्पनी, लालपुर कायमगंज के गोदाम के गेट पर दो लोगों द्वारा काले रंग की मोटर साइकिल से वादी को टक्कर मारकर गिरा देना और पैसों से भरा बैग लेकर भाग जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ था। उक्त प्रा0 पत्र के आधार पर कोतवाली कायमगंज पर दिनांक 27.08.2026 को मु0अ0सं0 223/26 धारा 309(4) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कर क्षेत्राधिकारी कायमगंज के नेतृत्व में घटना के सफल अनावरण हेतु 05 टीमें घटित कर विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन, सीसीटीवी फुटेज आदि के आधार पर 1. उत्तम शुक्ला 2. मिथुन सक्सेना 3.अभय सक्सेना 4.बॉबी 5. विकाश कश्यप उर्फ विक्की बाथम 6. अंग्रेज उर्फ राजकुमार 7. यश पुत्र सत्यप्रकाश उर्फ भूरे निवासी नोनियमगंज थाना कायमगंज जनपद फतेहगढ़ प्रकाश में आए। मुखबिर की सूचना पर प्रकाश में आए अभियुक्तगण 1.उत्तम शुक्ला 2. मिथुन सक्सेना 3.अभय सक्सेना 4. 3.बॉबी .विकाश कश्यप उर्फ विक्की 6.अंग्रेज उर्फ राजकुमार को गिरफ्तार किया गया गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से लूटे गये 6,70,000 रूपये बरामद किये गये । अभियुक्त मिथुन के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। अभियोग उपरोक्त में गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर धारा 310(2)/317(3) बीएनएस, 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण – पूछताछ पर अभियुक्त मिथुन उपरोक्त ने बताया कि मैंने तथा मेरे साथी 1-उत्तम 2- बॉबी 3-विक्की उर्फ विकास 4-अंग्रेज उर्फ राजकुमार 5-अभय तथा 6- यश ने मिलकर दिनांक 27.08.2026 को शाम को उलियापुर में सत्यप्रकाश की गोदाम के गेट के सामने मुनीम से बोरी में रखे आठ लाख रूपये लूट लिये। मैं और विक्की पहले गोदाम में काम कर चुके है तो हमें जानकारी थी कि मुनिम रुपये लेकर आता है। हमने इसके लिए रैकी की ,विक्की पेट्रॉल पम्प पर और अभय गद्दी के पास खड़ा था जिन्होने हमें सूचना दी और फिर मुझ पर मिले तमंचे से मैने मुनीम को पीछे की साइड में दो तीन बार बट मार दी थी तथा मेरे साथी बॉबी और उत्तम ने उसके साथ लात घूसों से मारपीट कर दी थी। मुनीम जमीन पर गिर गया था तो मैं तथा मेरे साथी यश, बॉबी और उत्तम मोटर साइकिल से अहियापुर होते हुये भाग गये थे और हमारे साथी विक्की उर्फ विकास, अभय तथा अंग्रेज उर्फ राजकुमार अलग दिशा में भाग गये थे। हमारा साथी यश जिसके हिस्से में एक लाख तीस हजार रूपये आये है, वह अपने रूपयों को लेकर के चला गया है ।

अभियुक्तगण उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1- मु0अ0सं0 223/26 धारा 310(2)/317(3) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़।
2- अन्य थानाजात से जानकारी की जा रही है।

अभियुक्त विकास उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1- मु0अ0सं0 234/24 धारा 303(2)/317(2)/317(5) बीएनएस कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़।
2- मु0अ0सं0 223/26 धारा 310(2)/ 317(3) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़।
3- अन्य थानाजात से जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

1- लूटे गये 6,70,000 रूपये/-
2- घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल
3- अभियुक्त मिथुन के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 तमंचा 315 बोर मय 01 कारतूस 315 बोर
4- 07 मोबाइल

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली कोतवाली कायमगंज पुलिस टीम-

01. प्र0नि0 विनोद कुमार शुक्ल
02. उ0नि0 इमरान फरीद 03. उ0नि0 अरविंद कुमार 04. उ0नि0 अरविन्द यादव 05. हे0का0 धर्मेन्द्र तिवारी 06. का0 सचिन 07. का0 विजय 08. का0 मोहित कुमार 09.का0 अंकित कुमार 10. का0 छोटेलाल 11.का0 रवीन्द्र कुमार 12. का0 प्रवीन यादव 13. का0 मनोज कुमार 14. रि0का0 हर्षित बाजपेई 15. रि0का0 अभिषेक

थानाध्यक्ष शमसाबाद श्री सचिन चौधरी मय टीम

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली एसओजी टीम-

01.उ0नि0 श्री संत कुमार
02.हे0का0 करन
03.हे0का0 तेजप्रताप
04.का0 दिव्यांशु
05.का0 सौरभ धीमान
06.का0 धर्मेंद्र सिंह
07.का0 विकास चन्द्र
08.मु0आ0चा0 चंद्रशेखर

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली सर्विलांस टीम-

1. हे0का0 संदीप राव
2. का0 राहुल शर्मा
3. का0 अरविन्द सिंह

मीडिया सेल फतेहगढ़।